## उत्तर प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमांत किसानो के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु

# फसल ऋण मोचन योजना जनपद बुलंदशहर (उ०प्र)

ऐसे सभी लघु एवं सीमांत किसान भाइयो को जिनके द्वारा फसल कर्ज/ऋण दिनांक 31 मार्च 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता(बैंक) संस्थाओ से प्राप्त किया गया हो राज्य सरकार एक लाख रूपए तक धनराशि (ब्याज सहित) का ऋण मोचन(कर्ज से मुक्ति) प्रदान करेगी |

- **योजना हेतु पात्रता**
  - ☑ उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक की शाखा से फसली ऋण लिया हो |
  - ☑ किसानो के स्वामित्व की बिभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हेक्टेअर [ 05( पांच ) एकड़] व सीमान्त किसानो हेतु 01 हेक्टेअर [2.5( ढ़ाई ) एकड़] से अधिक नहीं होना चाहिए|
  - ☑ ऐसे किसान जिनकी फसली ऋण को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार प्राकृतिक अपदाओ के होने के कारण पुनर्संरचना कर दी गई हो|
  - ☑ सरकार द्वारा राजस्वा अभिलेखों के आधार पर पट्टे पर दी गई खेती करने के लिए भूमि पर किसान द्वारा लिया गया फसली कर्ज/ऋण|
- योजना का लाभ लेने के लिए योजना हेतु पात्र किसान भाइयो को निम्न लिखित अभिलेख अपने बैंक/ब्रांच/ को उपलब्ध कराना है|
  - पिता का नाम|
  - आधार कार्ड संख्या (क्षाया प्रति)|
  - बैको में किसान क्रेडिट कार्ड फसली खाता संख्या (क्षाया प्रति)|
  - मोबाईल नम्बर|
  - भूलेख रकवा व गाटा संख्या|
  - अन्य अभिलेख व जानकारी जो जिला सशक्त समिति के द्वारा मागा जाये|
- प्रिय किसान भाइयो उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में आप के ऋण मोचन में बिलम्ब (देरी) हो सकती है या अन्ततः अस्वीकृत हो सकते है| योजना हेतु पात्र किसानो की सूची सम्बंधित ब्लाक, तहसील, बैंक/ब्रांच, जिला मुख्यालय के सूचना पटल तथा जनपद की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी |
- किसान ऋण मोचन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/शिकायत हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 05732-259277 पर संपर्क किया जा सकता है
- योजना से सम्बंधित किसी पक्ष या शिकायत का निस्तारण जिलास्तरीय सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा

**जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा किसान हित में जारी**